अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्या 212/2012

दिलीप चौधरी —— अपीलार्थी

बनाम

राज्य —— रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 339–2 दिनांक: 16.04.2012 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

संक्षेप में मामला यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायगढ़– भपटियाही के पत्रांक 986–2 दिनांक 17.10.2007 द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल को समर्पित प्रतिवेदन में दिलीप चौधरी पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में ज्ञापांक 2451–2/गो0 दिनांक 23.01.2008 के द्वारा श्री दिलीप चौधरी, पंचायत सचिव, सरायगढ़– भपटियाही को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय छातापुर प्रखंड निर्धारित किया गया वो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायगढ –भपटियाही को श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराने एवं प्राथमिकी दर्ज की गयी या नही के बिन्दु पर सूचित करने हेतु निदेश दिया गया। उक्त आलोक में प्रपत्र 'क' का गठन किया गया जो संक्षेप में निम्नप्रकार है:–

1. अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना/स्पष्टीकरण पूछे जाने पर न जबाब देना और न उपस्थित होना।

2. मो0 3,05,000.00 रू0 सरकारी राशि की चेक से निकासी कर अपने पास रखना ।

3. शिक्षक नियोजन मे चयन समिति के अनुमोदन बिना सीमा कुमारी का नियोजन रद्द करना तथा प्रीति कुमारी की अवैध रूप से नियोजन करना

एवं

4. बिना प्रशासनिक स्वीकृति का योजना का कार्यान्वयन करना।

उक्त प्रपत्र 'क' के आलोक में आदेश ज्ञापांक 291–2 दिनांक 06.08.09 के द्वारा श्री दिलीप चौधरी, निलंबित पंचायत सचिव, सरायगढ–भपटियाही के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु उप विकास आयुक्त, सुपौल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उप विकास आयुक्त–सह– संचालन पदाधिकारी, के पत्रांक 1859 दिनांक 13.10.09 द्वारा श्री दिलीप चौधरी आरोपी (अपीलकर्त्ता) से स्पष्टीकरण की मांग की गयी उक्त संदर्भ में अपने बचाव हेतु श्री चौधरी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कतिपय लेख्य साक्ष्यों की मांग की गयी। श्री चौधरी द्वारा दिनांक 16.05.2011 को समर्पित आवेदन में उन्हें मात्र 2,3 (ii) (iii) से संबंधित कागजात ही उपलब्ध कराने का कथन करते हुए उक्त निर्धारित तिथि को बचाव पेश करने हेतु उपस्थित होने में असमर्थता जतायी गई एवं उक्त आवेदन में अपीलार्थी द्वारा कथित आरोपों से संबंधित उनके विरूद्ध किशनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी जो माननीय न्यायालय, सुपौल में निष्पादन हेतु लंबित है, को परिपत्र संख्या 10158 का0 दिनांक 23.08.63, वि0 प्र0 प्रकीर्ण नियमावली के नियम 167 बी एवं सी०.डब्लू०.जे०.सी० 7021/91 दिनांक 05.09.63 के आलोक में फौजदारी मुकदमा के निष्पादन तक विभागीय कार्यवाही स्थगित करने का कथन किया गया। उप विकास आयुक्त, सुपौल ने अपने पत्रांक 948/अभि0 दिनांक 11.07.11 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायगढ़ भपटियाही को श्री चौधरी पर लगाये गये आरोप की जॉच हेतु कतिपय मूल कागजात के साथ दिनांक 12.07.11 को कार्यालय वैश्म में उपस्थित होने का निदेश दिया उक्त आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 580–2 दिनांक 16.07.11 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से संबंधित आवश्यक कागजात की छाया प्रति उप विकास आयुक्त, सुपौल को भेजा।

विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण करने के उपरान्त उप विकास आयुक्त, सुपौल–सह–संचालन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पत्रांक 1112/ अभि0 दिनांक 02.08.11 द्वारा जॉच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, सुपौल को भेजा गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में अपीलार्थी द्वारा बराबर बिना सूचना एवं अवकाश स्वीकृति कराये मुख्यालय एवं पंचायत से अनुपस्थित रहने संबंधी प्रथम आरोप के संबंध में कथन करते है कि अपीलार्थी दिनांक 23.07.07 से 28.07.07 तक विधिवत अवकाश का आवेदन देकर और आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय से आये थे। दिनांक 29.07.07 एवं 30.07.07 को अवकाश घोषित था। सहरसा के वरीय चिकित्सक डा0 गोपाल शरण सिंह की सलाह पर उन्होंने दिनांक 01.08.07 से दो माह का अर्जित अवकाश के लिए विधिवत आवेदन समर्पित किया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायगढ़–भपटियाही ने पत्रांक 986–2दिनांक 17.10.07 द्वारा उप विकास आयुक्त, सुपौल को प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 23.07.07 से दिनांक 27.07.07 तक अवकाश स्वीकृत किया गया था एवं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.08.07 से दिनांक 30.08.07 तक अवकाश हेतु आवेदन भेजा गया था। संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप की पुष्टि नहीं होना बताया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता सरकारी राशि गबन करने से संबंधित दूसरे आरोप के बिन्दु पर कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि उनके द्वारा योजना संख्या 12/06–07 में कनीय अभियंता द्वारा किए गए मापी एवं सहायक अभियंता द्वारा अंतिम जॉच के बाद मो0 3,05,000.00 रू0 का भुगतान हेतु लिया गया है जबकि इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अभिलेखों की जॉच के कम में वित्तीय वर्ष 06–07 में मात्र ग्यारह योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। योजना संख्या 12/06–07 की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के बाद भी श्री चौधरी द्वारा योजना संख्या 12/06–07 में मो0 3,05,000.00 रू0 की निकासी कर ली गयी है, वो संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतब्य में अंकित किया

गया है कि जब योजना संख्या 12/06–07 की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी तो इस योजना हेतु राशि की निकासी करना स्पष्ट रूप से गबन है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा शिक्षक नियोजन में एक पद महिला अनारक्षित की रिक्ति के विरूद्ध दो महिला को नियोजन पत्र निर्गत करने संबंधी तीसरा आरोप के संबंध में कथन करते है कि उन्हें कतिपय कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जा सका वो उक्त आरोप पर संचालन पदाधिकारी का मंतब्य है कि दिनांक 28.02.07 को सम्पन्न कॉन्सिलिंग में प्रीति कुमारी द्वारा भाग नहीं लिया गया है। पंचायत सेवक द्वारा बैठक के प्रस्ताव से अलग प्रीति कुमारी को नियोजन पत्र निर्गत किया गया है जो नियम के विरूद्ध है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा शिक्षक नियेाजन संबंधी आरोप को प्रमाणित कर दिया गया।

अभिलेख पर रक्षित जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 339–2 पं0 दिनांक 16.04.2012 के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 1115–2/जि0 पं0 दिनांक 05.09.11 द्वारा श्री चौधरी से दस दिनों के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा पुछा गया एवं श्री चौधरी द्वारा दिनांक 22.09.2011 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर दिनांक 28.02.12 को जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सुनवाई की गयी। आरोपी द्वारा दिनांक 22.09.11 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के अतिरिक्त लगाए गए आरोपों के काट में कोई स्वीकारणीय तथ्य प्रस्तुत नहीं करने एवं सुनवाई के दौरान श्री चौधरी के द्वारा मौखिक रूप से उन्हे गबनित राशि रू0 3,05,000.00 सहरसा में चिकित्सक से अपने इलाज में खर्च हाने संबंधी स्वीकारोक्ति तथा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन, उनके मंतब्य और आरोपी के स्पष्टीकरण/द्वितीय कारणपृच्छा के जॉचोपरान्त श्री दिलीप चौधरी, निलंबित पंचायत सचिव के विरूद्ध सरकारी राशि के गबन एवं नियम विरूद्ध शिक्षक नियोजन का आरोप सिद्ध पाए जाने की स्थिति में बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 14 (x) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा श्री दिलीप चौधरी, निलबित पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, सरायगढ़ –भपटियाही सम्प्रति निलंबन मुख्यालय प्रखंड कार्यालय– छातापुर को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया गया है साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायगढ़ भपटियाही को आदेश दिया गया है कि श्री चौधरी द्वारा गबन की गई वास्तविक राशि मो0 3,05,000.00 रू0 की बैंक से निकासी की गई तिथि से नियमानुसार सूद की राशि की गणना कर सूद सहित वसूली करना सुनिश्चित करें।

इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को भी दी गई है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बचाव हेतु अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा